राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक :प.8 (विविध) / एनएसएस / अकाद / 19 / 786 — दिनांक : 11 नवम्बर, 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः— एन.सी.सी., स्काउट गाइड, एन.एस.एस. के विद्यार्थियों को आपदा प्रबन्धन जागरूकता का प्रशिक्षण देने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में अकस्मात् आपदा से बचाव हेतु आपदा प्रबन्धन के प्रति जागरूक करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा समय—समय पर कैडेट / स्वयंसेवकों के लिये आयोजित होने वाले शिविरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान युवक / युवतियों को आपदा प्रबन्धन जागरूकता का प्रशिक्षण / डैमो दिया जाना सुनिश्चित करें।

अतः कैडेट / स्वयंसेवकों हेतु शिविर प्रारम्भ करने के 15 दिवस पूर्व संबंधित सम्भाग स्तर के नियंत्रक (जिला—कलेक्टर) से सम्पर्क कर प्रशिक्षण / मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण / डैमो आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप निम्न अधिकारियों से सम्पर्क करें—

1. श्री जगत राजेश्वर, RAS उप निदेशक,
   निदेशालय नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
   कार्यालय नं. 0141—2280507 मो.नं. 9829370001

2. श्री इन्द्रमल, उप नियत्रंक,
   निदेशालय नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
   कार्यालय नं. 0141—2280507 मो. नं. 9549892335

(संदेश नायक IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
2. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
5. संबंधित जिला समन्वयक को पालनार्थ।
6. वेब प्रभारी, आकाशि, जयपुर अपलोड करने हेतु।

10.11.20

(जी. के. सोनी)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)